भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *165
(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थी

*165. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार के लाभार्थियों की वर्षवार/राज्यवार कुल संख्या और ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली राशि बढ़ाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) इस योजना के तहत 2019 से हटाए गए लाभार्थियों की संख्या वर्षवार/राज्यवार कितनी है और उसके क्या कारण हैं;
(घ) वर्ष 2020 से आधार के साथ जुड़े ना होने के परिणामस्वरूप बैंक खातों को रद्द या फ्रीज किए जाने के कारण हटाए गए इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) भारत सरकार के यूडीआईडी पोर्टल पर दिव्यांगता प्रमाणपत्रों को अनिवार्य रूप से अपलोड करने के आदेश के बाद दिव्यांगता पेंशन को रद्द किए जाने या रोके जाने का माहवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थी के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *165 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के तहत वर्ष 2019 से लाभार्थियों की कुल संख्या, वर्ष-वार और राज्य-वार डिजिटल रूप से पंजीकृत लाभार्थियों या राज्य की सीमा के आधार पर, जो भी कम हो, **अनुबंध**-I में दी गई है।

(ख) 15वें वित्त आयोग (वर्ष 2021-26) की अवधि के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) योजनाओं को जारी रखने पर विचार करते समय, योजनाओं के तहत लाभार्थी कवरेज और सहायता दर में संशोधन पर सरकार द्वारा विचार किया गया। हालांकि, उपलब्ध वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए सरकार ने एनएसएपी योजनाओं को उनके वर्तमान स्वरूप में जारी रखने का अनुमोदन दिया है। वर्तमान में, एनएसएपी के अंतर्गत कवरेज/सहायता की दर को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) लाभार्थियों को विभिन्न कारणों से डाटा-बेस से हटा दिया जाता है, जैसे लाभार्थी का निधन, डुप्लिकेट रिकॉर्ड, पलायन, पात्रता मानदंडों को पूरा न करना, अमान्य बैंक/डाकघर खाता, लाभार्थियों के निधन के कारण पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से बैंक द्वारा स्वतः रोक लगाना आदि। एनएसएपी-पेंशन भुगतान प्रणाली (एनएसएपी-पीपीएस) के अनुसार, वर्ष 2019 से हटाए गए आईजीएनडीपीएस लाभार्थियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को लाभार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए, ताकि वे सक्रिय पहुंच के माध्यम से आधार संख्या प्राप्त कर सकें। इसके बाद बैंक/डाकघर खातों में आधार संख्या जोड़ी जानी चाहिए। यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की ज़िम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करें कि कोई भी लाभार्थी केवल इसलिए अपने अधिकारों से वंचित न हो क्योंकि उसके पास बैंक/डाकघर खाता और/या आधार संख्या नहीं है। हालाँकि, वर्ष 2020-21 से लेकर वर्तमान वर्ष तक अमान्य बैंक/डाकघर खातों के कारण हटाए गए लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-III** में दी गई है।

(ड.) एनएसएपी दिशानिर्देश के अनुसार आईजीएनडीपीएस के तहत पेंशन स्वीकृत करने के लिए यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) पोर्टल पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य नहीं है।

अनुबंध-I

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थी के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *165 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईजीएनडीपीएस के तहत लाभार्थियों की संख्या					
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	24413	24413	24413	24413	24412	24412
2	बिहार	120562	120562	126156	126156	127100	127100
3	छत्तीसगढ़	31245	32017	31953	31985	32085	32085
4	गोवा	41	41	466	466	466	466
5	गुजरात	10774	12370	20557	20300	20327	20327
6	हरियाणा	11537	11537	11537	11537	16583	16583
7	हिमाचल प्रदेश	851	851	853	853	853	853
8	जम्मू और कश्मीर	2769	2426	2426	2426	2426	2077
9	झारखंड	24836	25598	26496	26516	26067	25530
10	कर्नाटक	43639	43639	43639	44825	44825	36815
11	केरल	29935	29935	29935	29935	66928	29791
12	मध्य प्रदेश	99924	99924	99924	99924	101470	101470
13	महाराष्ट्र	7654	8522	8870	9106	9322	9322
14	ओडिशा	82182	86767	85805	90754	89433	89379
15	पंजाब	5151	4710	5656	5982	5982	5815
16	राजस्थान	28137	29496	30502	30513	23468	23950
17	तमिलनाडु	57201	57201	63261	63261	64096	55358
18	तेलंगाना	17448	17448	17448	17448	20578	20578
19	उत्तर प्रदेश	73213	73213	75280	75280	85773	85773
20	उत्तराखंड	2822	2822	2880	2880	2880	2880
21	पश्चिम बंगाल	65177	65802	61539	61019	56700	54610
22	अरुणाचल प्रदेश	112	1284	112	112	112	112

23	असम	18916	18916	18916	34864	33139	33226
24	मणिपुर	1007	1007	1007	1005	918	905
29	मेघालय	969	969	969	1558	1558	1558
26	मिजोरम	400	400	400	686	722	722
27	नागालैंड	960	960	960	960	1011	1011
28	सिक्किम	451	451	457	457	457	457
29	त्रिपुरा	1954	1783	1769	1856	2131	2030
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	2	2	2	2
31	चंडीगढ़	100	100	100	100	100	100
32	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	208	208	254	320	310	310
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6321	6321	6321	4647	4601	4539
34	लद्दाख	लागू नहीं	363	150	219	219	219
35	लक्षद्वीप	51	51	51	51	51	51
36	पुदुचेरी	1259	1259	1259	1259	1271	1271
	कुल	**772220**	**783367**	**802323**	**823675**	**868376**	**811687**

अनुबंध-II

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थी के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *165 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत हटाए गए लाभार्थियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

राज्य का नाम	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	कुल
कर्नाटक	0	0	0	0	8010	267	8277
दिल्ली	0	0	5	50	76	49	180
लद्दाख	0	0	0	0	0	54	54
राजस्थान	0	0	0	0	0	3336	3336
मणिपुर	366	282	0	174	30	26	878
पश्चिम बंगाल	1903	17562	1673	5054	3173	1543	30908
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	198	0	0	0	0	198
गुजरात	274	746	5592	740	698	644	8694
बिहार	0	0	0	0	396	0	396
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	648	92	356	348	462	118	2024
झारखंड	651	628	605	584	640	229	3337
असम	1030	1706	1342	3804	876	2357	11115
पंजाब	0	0	0	0	217	1	218
जम्मू और कश्मीर	0	22	34	94	1286	480	1916
ओडिशा	7867	9965	4915	1477	1785	2486	28495
मेघालय	486	122	68	76	140	68	960
मिजोरम	94	20	56	62	42	22	296
महाराष्ट्र	1072	456	908	1906	1020	292	5654
छत्तीसगढ़	3914	1988	1740	1616	1410	1590	12258
तमिलनाडु	0	0	0	0	11843	2834	14677
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	2	2	0	8	0	0	12
हरियाणा	0	0	0	0	178	0	178
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	1	1

(स्रोत: एनएसएपी-पीपीएस)

अनुबंध-III

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थी के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *165 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

लाभार्थियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या जिनकी पेंशन अमान्य खाते होने के कारण रोक दी गई

अमान्य खाते होने के कारण रोक दी गई					
राज्य का नाम	**2020-2021**	**2021-2022**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**
दिल्ली	0	0	6	8	3
मणिपुर	54	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	8253	45	25	156	38
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	12	0	0	0	0
गुजरात	250	942	22	14	8
त्रिपुरा	0	0	0	196	0
झारखंड	22	5	15	90	6
असम	12	18	82	22	60
जम्मू और कश्मीर	0	0	20	80	2
ओडिशा	195	29	19	12	20
मेघालय	0	0	0	10	4
मिजोरम	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	2	82	88	16	8
छत्तीसगढ़	24	10	16	74	22
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0

(स्रोत: एनएसएपी-पीपीएस)